

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

का०आ०सं०-4/स्था० (मु०)01-13/2016

/पटना, दिनांक 11/3/26

कार्यालय आदेश-54-

श्रीमती देवन्ती सिन्हा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्वयं की चिकित्सा हेतु दिनांक 28.11.2025 से दिनांक 25.12.2025 तक बिहार सेवा संहिता के नियम- 232 के तहत कुल-56 (छप्पन) दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी स्वीकृत करते हुए बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के तहत पूरे वेतन पर कुल- 28 (अठाईस) दिनों की रूपांतरित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

उप सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

/पटना, दिनांक

ज्ञापांक:-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड़, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

/पटना, दिनांक 11/3/26

ज्ञापांक:- 21315

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, प०नि०वि०, बिहार, पटना/विशेष सचिव, के वरीय प्रधान आप्त सचिव, प०नि०वि०, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा), प०नि०वि०, पटना/लेखा प्रशाखा, प०नि०वि०, पटना/ श्रीमती देवन्ती सिन्हा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उप सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

